न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 2005/ 5342 / भरतपुर

1– सौमती बेवा माधोसिंह
2– थानसिंह पुत्र माधोसिंह
3– ओमप्रकाश पुत्र माधोसिंह
4– खेमचन्द पुत्र माधोसिंह
उपरोक्त जातिगण काछी निवासी रूपवास, तहसील रूपवास जिला भरतपुर
5– श्रीमति गुड्डी पुत्री माधोसिंह पत्नी प्रेमदत्त जाति काछडी निवासी भिरावली शमशाबाद, जिला आगरा।

.....अपीलान्ट

बनाम

1– श्रीमती कप्पूरी बेवा सूरज

2– बिशन पुत्र सूरज

3– तेज सिंह पुत्र सूरज

4– सुम्मेरा पुत्र सूरज

5. श्रीमती रामवती बेवा नवाबसिंह

6– मनोहरसिंह उर्फ.....पुत्र नवाबसिंह,

7– बेबी पुत्री नवाबसिंह

8– पदमसिंह पुत्र नवाबसिंह

उपरोक्त समस्त जाति काछी, निवासी रूपवास तहसील रूपवासी, जिला भरतपुर ।

9– श्रीमती चन्द्रवती पुत्री सूरज पत्नी मुरारीलाल जाति काछी, निवासी मनोहरपुरा तहसील सैपद, जिला धोलपुर।

10– श्रीमती गुड्डी पुत्री सूरज पत्नी सुगन जाति काछी, निवासी सूरोठ, तहसील हिण्डौन, जिला करौली।

11– श्रीमती सुनिता पुत्री सूरज पत्नी सुमेर सिंह जाति काछी, निवासी सुरोठ, तहसील हिण्डौन, जिला करौली मृतक जरिये वारीसान :–

11/1– रिंकू पुत्र सुमेर सिंह
11/2– सोनू पुत्र सुमेर सिंह,
11/3 ध्रुव पुत्र सुमेर सिंह नाबालिग, जरिये संरक्षक भाई रिंकू पुत्र सुमेर सिंह

उपरोक्त समस्त जाति काछी निवासी सुरोठ तहसील हिण्डौन जिला करौली ।

12– श्रीमती शकुन्तला पुत्री सूरज पत्नी देवीसिंह जाति काछी, निवासी सुरोठ्य तहसील हिण्डौन, जिला करौली।

.....रेस्पोन्डेन्टस

खण्ड–पीठ
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य
श्री भंवर सिंह सान्दू, सदस्य

उपस्थित :
श्री जे.के. पारिक एवं श्री वैभव पारिक, अभिभाषक अपीलान्ट्स
श्री नरसिंह रावत एवं श्री हंगामीलाल चौधरी, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट्स

दिनांक : 11–8–2023

निर्णय

1– अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर दिनांक 29.09.2005 जो कि अपील संख्या 158 /2004 में पारित किया गया।

2– द्वितीय अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि इस अपील के संक्षिप्त के तथ्य इस प्रकार है कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी रूपवास के न्यायलय में अपीलान्ट संख्या 1 के पति व अपीलान्ट संख्या 2 से 5 के पिता माधोसिंह ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 12 के पिता सूरज के विरूद्ध एक दावा अन्तर्गत धारा 88 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भिडयानी तहसील रूपवास स्थित आराजी खसरा नम्बर 57 मीन रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि कन्हैया पुत्र जवाली के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि थी। कन्हैया ला औलाद बिना औरत लगभग 35 साल पहले फौत हो गया वादी एवं प्रतिवादी पिता कन्हैया के सगे भाई है। कन्हैया की मृत्यू के बाद विवादित भूमि पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है तथा पांच साल पूर्व तक अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट्स साथ–साथ शामिल रहते थे कन्हैया की

मृत्यू के समय वादी / अपीलाट माधोसिंह नाबालिग था तथा प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट सूरज बडा भाई था। वादी / अपीलान्ट की नाबालिग अवस्था का लाभ उठाकर कन्हैया की समस्त भूमि को अकेले प्रतिवादी / रेस्पोडेन्ट सूरज ने अपने नाम करवा लिया जो कानूनन अवैद्ध है। रेस्पोडेन्ट / प्रतिवादी ने दिनांक 18.8.86 को वादी / अपीलाट को धमकी दी की वह विवादित भूमि पर वादी / अपीलांट को अब काश्त नहीं करने देगा क्योंकि विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी / रेस्पोर्डेन्ट के नाम दर्ज है प्रतिवादी रेस्पोर्डेट की धमकी से बादी / अपीलाट के अधिकारों पर विपरित प्रभाव पड़ने की सम्भवना पैदा हो गई है। इसलिए दावा करना आवश्यक हो गया अतः वादी / अपीलान्ट का दावा डिक्री किया जाकर विवादित भूमि के 1/2 भाग का वादी / अपीलान्ट्स को खातेदार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट / प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी / रेस्पोडेन्ट ने अपना जवाब दावा पेश कर दावे के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया विवादित भूमि कभी भी कन्हैया के खातेदारी की भूमि नहीं रही बल्कि विवादित भूमि संवत् 2012 से पूर्व से ही प्रतिवादी / रेस्पोडेन्ट को अलोट की हुई भुमि है एवं सम्वत् 2027 में विवादित भूमि में जरिये नामान्तकरण संख्या 195 दिनांक 27.11.72 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं तथा मौके पर रेस्पोंडेंट / प्रतिवादी काबिज काश्त है विवादित भूमि से अपीलांट / वादी का कोई सरोकार नहीं है अतः दावा खारीज किया जावे। दावे व जवाब दावे के आधार पर छ तनकीयात कायम की जाकर बाद शाहदत दिनांक 21.5.2004 को वादी / अपीलान्ट का दावा डिक्री कर दिया। रेस्पोडेन्ट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.5.2004 से असंतुष्ट होकर प्रथम अपील विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अधिकारी महोदय, भरतपुर के न्यायालय में पेश की जिसे विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अधिकारी महोदय, भरतपुर ने विधि विपरीत जाकर दिनांक 29.9.2005 को रेस्पोडेन्ट की अपील स्वीकार कर विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, रूपवास का निर्णय व डिक्री दिनाक 31.5.2004 को निरस्त कर दिया। अपीलांट्स विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अधिकारी के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.9.2005 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि निर्णय व डिक्री विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अधिकारी महोदय भरतपुर न्याय नियम विधि के विपरित होने से काबिल निरस्तनिय है। विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अधिकारी, भरतपुर का निर्णय व डिक्री तनकीवार नहीं होने से काबिल निरस्तनीय है। विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अधिकारी जी ने यह नहीं देखने में कानूनी मूल की है कि मृतक सूरज के वारिसों को रिकॉर्ड पर लेने के पश्चात् दिनांक 25.2.2004 को एकतरफा कार्यवाही हुई है उससे पहले सूरज के नाबालिक वारिसों को सुनवाई का नोटिस जरिये उसकी माता रामवती देवा नवाब सिंह को दिया गया था अतः विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अधिकारी जी का यह मानना कि एक तरफा में डिक्री पारित की गई है वह तथ्यों के विपरित होने से काबिल निरस्तनिय है। विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अधिकारी जी ने यह नहीं देखने के कानूनी भूल की है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2009 व गिरदावरी सम्वत् 2010 लगायत 2013 प्रदर्श–3 को ठीक तरह से पढ़े व समझे बिना ही जो निर्णय पारित किया है वह अवैध एवं अनियमित है क्योंकि प्रदर्श 1 सम्वत् 2009 के अनुसार खेवट खतौनी में वादग्रस्त भूमि कन्हैया पुत्र जवाली के नाम दर्ज थी। अत विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अधिकारी, भरतपुर का मानना किं वादग्रस्त आराजी का सम्वत 2012 का राजस्व रिकार्ड पेश नहीं किया, विधि विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अधिकारी, भरतपुर ने यह मानने में कानूनी भूल की है कि धारा 13, 15 व 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए सम्वत् 2012 का रिकार्ड पेश करना जरूरी है जबकि वादी/ अपीलाट ने धारा 13, 15 व 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी प्रदान करने के लिए कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलांट ने अपने भाई कन्हैया की भूमि पर अपना अधिकार घोषितः करवाने के लिए दावा प्रस्तुत किया है। अतः निर्णय विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अधिकारी महोदय, भरतपुर काबिल निरस्तनीय है। विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अधिकारी महोदय, भरतपुर ने अपने निर्णय में यह मानने में कानूनी भूल की है कि सूरजमल रेस्पोडेन्ट सम्वत् 2010 से आज तक काश्त करते चले आ रहे हैं तथा दिनांक 27.11.72 को उसे खातेदारी हक भी प्राप्त हो चुके हैं, मानने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। जब तक रेस्पोडेन्ट यह सिद्ध नहीं कर देता कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट को कौनसी तारीख को आवंटन हुई एवं आवंटन होने के पश्चात् उसे खातेदारी हक प्राप्त हुए जबकि

ऐसा कोई भी दस्तावेज रिकार्ड पर नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट को कभी आवंटन हुई हो। अतः निर्णय व डिक्री विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अधिकारी, भरतपुर काबिल निरस्तनीय है।

5– दिनांक 4–8–2023 को उभय पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–151 सीपीसी प्रस्तुत कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के निर्णय दिनांक 29–9–2005 को निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, रूपवास जिला भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–5–2004 को बहाल रखने का कथन किया गया है।

6– इस परिप्रेक्ष्य में हमने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णयों का अवलोकन किया। उभय पक्षकारान की ओर से दिनांक 4–8–2023 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है किः– ‘‘न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास जिला भरतपुर के न्यायालय में वादी अपीलान्ट संख्या 1 के पति व अपीलान्ट संख्या 2 से 5 के पिता माधोसिंह ने प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति व प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 12 के पिता सूरज के विरूद्ध एक दावा अन्तर्गत धारा 88 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया जो दिनांक 31–05–2004 को स्वीकार कर डिक्री किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास जिला भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 31–05–2004 के विरूद्ध प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट ने अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर के यहाँ पर प्रस्तुत की जो दिनांक 29–05–2009 को स्वीकार की एवं निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास जिला भरतपुर दिनांक 31–05–2004 निरस्त किया गया। न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 29–09–2005 के विरुद्ध वादीगण अपीलान्ट ने अपील न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रस्तुत की जो न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थीगण अपीलांट्स एवं अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट में आपस में राजीनामा हो गया है जिसके अनुसार प्रार्थीगण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाये एवं न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 29–09–2005 को निरस्त फरमाया जावे तथा निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास जिला भरतपुर के निर्णय व डिक्री

दिनांक 31–05–2004 को बहाल फरमाया जावे। इसमें अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को कोई भी आपत्ति नहीं है।''

7– इस परिप्रेक्ष्य में हमने विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का अवलोकन किया। जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 57 मिन रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि कन्हैया पुत्र जबाली के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि थी। कन्हैया लावल्द विला औरत फौत हुआ है। वादी एवं प्रतिवादी कन्हैया के सगे भाई है। कन्हैया कि मृत्यु के बाद वादग्रस्त भूमि को संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है। कन्हैया कि समस्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अकेले प्रतिवादी ने अपने नाम दर्ज करवा ली, जबकि वादी भी कन्हैया द्वारा छोड़ी गई भूमि में प्रतिवादी के बराबर अधिकार पाने का हकदार है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–8 के अनुसार मृतक कन्हैया कि संपत्ति के वारिस वादी व प्रतिवादी बहिस्सा बराबर थे। कन्हैया निसंतान मरा था। मृतक कन्हैया के वादी एवं प्रतिवादी संख्या–1 सगे भाई है। इसलिये कन्हैया द्वारा छोडी गई भूमि में वादी एवं प्रतिवादी का बराबर हिस्सा बनता है।

8– परिणामस्वरूप पक्षकारान की ओर से मंडल के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी दिनांक 4–8–2023 स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपूर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–9–2005 निरस्त किये जाकर उपखण्ड अधिकारी रूपवास जिला भरतपूर के निर्णय व डिक्री दिनांक 31–5–2004 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर सिंह सान्दू)
सदस्य

(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)
सदस्य